रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2019/अग्रहायण 15, 1941
No. 708] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2019/AGRAHAYANA 15, 1941

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.897(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 11 की उप धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (ज्येष्ठ निजी सहायक) भर्ती नियम, 1989, आकाशवाणी (ग्रुप 'बी' पद) भर्ती नियम, 1962 जहां तक उनका संबंध रिपोर्टर (मॉनीटरिंग) से है, आकाशवाणी [रिपोर्टर (मॉनीटरिंग) (हिंदी)] भर्ती नियम 1996 और आकाशवाणी, नई दिल्ली (ज्येष्ठ आशुलिपिक – ज्येष्ठ श्रेणी) भर्ती नियम, 1983, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) में प्रधान निजी सचिव, निजी सचिव या रिपोर्टर और वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.—** ये नियम, इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामले में लागू होती हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. प्रधान निजी सचिव	9* (2019) [प्रधान निजी सचिव (अंग्रेजी) -8 और प्रधान निजी सचिव (हिंदी)-1] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 11 (67700-208700 रू)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

	टिप्पण-1.- प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उस श्रेणी के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय, निगम में मानित प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण-2.- ये नियम केंद्रीय सरकार के प्रधान निजी सचिव की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगे, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।						

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती से या प्रोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियों को भरने का प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	प्रोन्नति: **टिप्पण-1.-**प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गो अर्थात निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी।	वेतन मैट्रिक्स स्तर 7 (44900-142400 रू.) में के ऐसे निजी सचिव या रिपोर्टर जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण-1.-**प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी में अधिकारियों द्वारा निर्धारित अर्हकारी सेवा के पूरी होने की तारीख से तैयार की जाएगी। **टिप्पण-2:-**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. महानिदेशक, आकाशवाणी - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन – सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी – सदस्य – सदस्य समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. महानिदेशक, आकाशवाणी - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन – सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी – सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. निजी सचिव या रिपोर्टर	68* (2019) [निजी सचिव (अंग्रेजी)-46, निजी सचिव (हिंदी)-06, रिपोर्टर (अंग्रेजी)-12 और रिपोर्टर (हिंदी)-4] * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण-1.-** प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उस श्रेणी के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय, निगम में नामित प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण-2.-**ये नियम केंद्रीय सरकार के निजी सचिव या रिपोर्टर की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगे, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 7 (44900-142400 रू)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति: **टिप्पण-1.-** प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गों अर्थात निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी। **टिप्पण-2.-**ऐसी रिक्तियां, जो प्रोन्नति द्वारा भरी नहीं गई हैं, वे निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों अर्थात प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद सेवा विनियम 2017 के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 6 (35400-112400 रू) में के ऐसे वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी – अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (प्रशासन), दूरदर्शन – सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी – सदस्य	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I	650* (2019) [वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I (अंग्रेजी)-595 और वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I (हिंदी)-55]	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर 6 (35400-112400 रू.)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **टिप्पण-1:-**प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या उस श्रेणी के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या होनी चाहिए और किसी भी समय, निगम में नामित प्रतिनियुक्ति सरकारी सेवकों और निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण-2.- ये नियम केंद्रीय सरकार के वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक श्रेणी-I की अधिवर्षिता तक विद्यमान रहेंगे, जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं।						

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष।	प्रोन्नति: **टिप्पण-1.-**प्रत्येक श्रेणी में किसी विशेष वर्ष में उत्पन्न रिक्तियां पोषक श्रेणी में निगम द्वारा विनिश्चित किए गए कर्मचारियों के दो वर्गों अर्थात निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर सरकारी सेवक और निगम के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा भरी जाएंगी। **टिप्पण-2.-** ऐसी रिक्तियां, जो प्रोन्नति द्वारा भरी नहीं गई हैं, वे निगम द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों अर्थात प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) आशुलिपिक पद सेवा विनियम 2017 के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी।	वेतन मेट्रिक्स स्तर 4 (25500-81100 रू) में के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी अर्हता या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए): 1. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी – अध्यक्ष 2. निदेशक, समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी - सदस्य 3. उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी), आकाशवाणी - सदस्य समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए): 1. उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी – अध्यक्ष 2. निदेशक, समाचार	आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	सेवा प्रभाग, आकाशवाणी – सदस्य 3. उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी), आकाशवाणी - सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/7/2018-बीएपी]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2019

G.S. R. 897 (E).—In exercise of the powers conferred by section 32 read with sub-sections (1) and (2) of section 11 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990) and in supersession of the All India Radio (Senior Personal Assistant) Recruitment Rules, 1989, the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, in so far as they relate to the post of Reporter (Monitoring), the All India Radio [Reporter (Monitoring) (Hindi)] Recruitment Rules, 1996 and the All India Radio, New Delhi (Senior Stenographer - Senior Grade) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Principal Private Secretary, Private Secretary or Reporter and Personal Assistant or Stenographer Grade-I in the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. Short title and commencement.– (1)These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix relating thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provide that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Principal Private Secretary.	9* (2019). [Principal Private Secretary (English) – 8 and Principal Private Secretary (Hindi) – 1] *Subject to variation dependent on workload. **Note-1:-** The number of posts is the total number of the posts sanctioned for the grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. **Note-2:-** These rules shall cease to exist on the superannuation of all Principal Private Secretaries from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 (Rs. 67700 - 208700).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	Promotion. **Note1.-**The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and	Private Secretary or Reporter in level 7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the grade. **Note 1.-** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Director General, All India Radio – Chairperson; 2. Additional Director General	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

		employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation.	**Note 2.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(Administration), Doordarshan – Member; 3. Deputy Director General (Administration), All India Radio – Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): 1. Director General, All India Radio – Chairperson; 2. Additional Director General (Administration), Doordarshan – Member; 3. Deputy Director General (Administration), All India Radio – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Private Secretary or Reporter.	68*(2019). [Private Secretary (English) – 46, Private Secretary (Hindi) – 06, Reporter (English) – 12 and Reporter (Hindi) – 4] * Subject to variation dependent on workload. **Note-1:-**The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. **Note-2:-**These rules shall cease to exist on the superannuation of all Private	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	Level 7 (Rs.44900 -142400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

	Secretary or Reporters from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.					

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion: **Note 1.-** The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. **Note 2.-** The vacancies which may remain unfilled by promotion shall be filled up by deputation as per the recruitment regulations notified by the Corporation, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts Recruitment Regulations, 2017.	Personal Assistant or Stenographer Grade-I in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Deputy Director General (Administration), All India Radio – Chairman; 2. Deputy Director General (Administration), Doordarshan – Member; 3. Deputy Director (Administration), All India Radio – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Personal Assistant or Stenographer Grade – I	650*(2019). [Personal Assistant or Stenographer Grade-I (English) – 595 and Personal Assistant or Stenographer Grade-I (Hindi) – 55] * Subject to variation dependent on workload. Note-1:- The number of posts in each grade is the total number of the posts sanctioned for that grade and at any time, it shall not exceed the aggregate number of posts occupied by the	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400 - 112400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation. Note-2:-These rules shall cease to exist on the superannuation of all Personal Assistants or Stenographers Grade-I from the Central Government who are on deemed deputation to the Corporation.						

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	Promotion: **Note-1:-** The vacancies arising in a particular year shall be filled up by two categories of employees in the feeder grades, i.e. the Government servants on deemed deputation to the Corporation and the officers and employees of the Corporation, as may be decided by the Corporation. **Note-2:-** The vacancies, which may remain unfilled by promotion, shall be filled up by deputation as per the recruitment regulations notified by the Corporation, namely, the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Stenographer Posts Recruitment Regulations, 2017.	Stenographer Grade-II in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with ten years regular service in the grade. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Deputy Director General (Administration), All India Radio - Chairperson; 2. Director, News Service Division, All India Radio - Member; 3. Deputy Director General (E), All India Radio - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): 1. Deputy Director General (Administration), All India Radio - Chairperson; 2. Director, News Service Division, All India Radio - Member; 3. Deputy Director General (E), All India Radio - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/7/2018-BAP]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.10 18:19:00 +05'30'